

स्ट्रीट वेंडर्स: भूमिका एवं संघरण का आकलन

यह एडिटोरियल 1/05/2024 को 'द हिंदू' में प्रकाशित ["Implementing the Street Vendors Act"](#) लेख पर आधारित है। इसमें स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, 2014 के बहुआयामी पहलुओं और इसके करियान्वयन की राह की चुनौतियों पर चर्चा की गई है।

प्रलिमिस के लिये:

पथ वकिरेता (जीवका संरक्षण और पथ वकिरय वनियम) अधनियम, 2014, पीएम स्वनिधियोजना, दीनदयाल अंतयोदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीवका मशिन (DAY-NULM), शहरी स्थानीय नकाय (ULBs), शक्तिप्रद नविरण समिति, मौलकि अधिकार, DPSPs, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, स्वयं सहायता समूह (SHGs), टाउन वेंडगी समितियाँ (TVCs), NULM।

मेन्स के लिये:

पथ वकिरेता (जीवका संरक्षण और पथ वकिरय वनियम) अधनियम, 2014 से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ।

1 मई, 2014 को लागू हुए पथ वकिरेता (जीवका संरक्षण और पथ वकिरय वनियम) अधनियम, 2014 [Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014], जसे आम तौर पर 'स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट' के रूप में जाना जाता है, ने एक दशक पूरे कर लिये हैं। एक दूरदर्शी विधान के रूप में इसका स्वागत किया गया था, जिसका उद्देश्य पथ वकिरेता या 'स्ट्रीट वेंडर्स' के वकिरय अधिकारों को वैध बनाकर उनका उत्थान करना था। हालाँकि, इस विधान के व्यावहारिक कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

स्ट्रीट वेंडर्स परमुख शहरों में अपनी व्यापक उपस्थितिके कारण शहरी अरथव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो रोजमररा की आवश्यक उपयोगी वस्तुओं की पेशकश करते हैं। वे शहरी अरथकि पारस्थितिकी तंत्र में अपरहिरय माध्यम या नोड्स के रूप में कार्य करते हैं, जो नविसियों के लिये मूलभूत आवश्यकताओं तक पहुँच प्रदान करते हैं।

स्ट्रीट वेंडर्स कौन हैं और उनके संबंधित अधिकार:

परभाषा:

- स्ट्रीट वेंडर वह व्यक्ति होता है जो वकिरय या वेंडगी के लिये कसी स्थायी नियमित संरचना के बिना आम लोगों को वस्तुओं की बिक्री करता है।
- वे फुटपाथ या अन्य सार्वजनिक/नजी स्थानों पर अस्थायी नियमित संरचना के माध्यम से अपना कार्य करते हैं यद्यपि चल (मोबाइल) वकिरेता हो सकते हैं जो ठेला या टोकरियों में अपनी वस्तु रख एक स्थान से दूसरे स्थान तक धूमते हुए उसकी बिक्री करते हैं।


जनसंख्या:

- दुनिया भर के परमुख शहरों में, विशेषकर एशिया, लैटनि अमेरिका और अफ्रीका जैसे विकासशील भूभागों में स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- भारत में लगभग 49.48 लाख स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान की गई है, जहाँ उनकी सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश (8.49 लाख) और मध्य प्रदेश (7.04 लाख) में है। राजधानी दिल्ली में लगभग 72,457 स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान की गई है, जबकि स्किक्कमि में उनकी अनुपस्थितिपाइप गई है।

संवेधानकि प्रावधान - व्यापार का अधिकार: भारतीय संविधान का [अनुच्छेद 19\(1\)\(g\)](#) सभी नागरिकों को कोई भी वृत्ति उपजीवका, व्यापार या कारबार करने का मूल अधिकार प्रदान करता है।

Landmark Judgements and Policies on Street Vending

Source: Progress Report 2020: Implementing the Street Vendors Act, Centre for Civil Society



पथ वकिरेता (जीवका संरक्षण और पथ वकिरय वनियमन) अधनियम, 2014

- वैधीकरण :
 - इसे पथ वकिरताओं या स्ट्रीट वैडरस के बकिरी अधिकारों को वैध बनाने के लिये लागू किया गया था।
 - इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वैडगि को सुरक्षित एवं वनियमित करना था, जहाँ [शहरी स्थानीय निकायों \(ULBs\)](#) द्वारा उपकानूनों, योजना-नरिमाण एवं प्रवरतन के माध्यम से राज्य-स्तरीय वनियमनों एवं कार्यक्रमों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाना था।
- भूमिका और उत्तरदायतिवः

- यह वकिरेताओं और सरकार के वभिन्न सतर्कों, दोनों की भूमिकाओं एवं उत्तरदायतिवां को रेखांकति करता है।
- इसमें सभी 'मौजूदा' वकिरेताओं को नरिदिष्ट वैडिंग ज़ोन में समायोजित करने और उनके लिये वैडिंग प्रमाणपत्र (VCs) जारी करने की परकल्पना की गई है।
- यह **टाउन वैडिंग समितियों (TVCs)** के गठन के माध्यम से एक सहभागी शासन ढाँचा स्थापित करता है। इन समितियों में स्ट्रीट वैडर प्रतिनिधियों की 40% सदस्यता (महलि स्ट्रीट वैडर्स के लिये 33% के उप-प्रतिनिधित्व के साथ) का प्रावधान किया गया है।
 - ये समितियों वैडिंग कषेतरों में सभी मौजूदा वैडर्स के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिये ज़ामिमेदार हैं और इसमें शक्तियों एवं विवादों के निपटान के लिये भी एक तंत्र शामिल है। जहाँ एक सविलि नयायाधीश या नयायकि मजस्ट्रेट की अधिकष्टता में एक शक्तियात नवारण समिति (Grievance Redressal Committee) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।

- **सर्वेक्षण का आयोजन:**

- इसमें अनविराय किया गया है कि राज्य/शहरी स्थानीय निकाय प्रत्येक पाँच वर्ष में कम से कम एक बार स्ट्रीट वैडर्स की पहचान के लिये सर्वेक्षण आयोजित करें।

भारत में स्ट्रीट वैडर्स का महत्व:

- **आजीविका सृजन:**
 - वे लाखों लोगों, विशेष रूप से परवासियों और शहरी गरीबों के लिये आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यह उन्हें चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिस्थितियों के बीच स्व-रोज़गार एवं जीविका के अवसर प्रदान करता है।
 - स्ट्रीट वैडिंग से आपूर्ति शृंखला, लॉज़स्टिक्स और सहायक सेवाओं में भी अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर पैदा होते हैं।
- **वस्तुओं एवं सेवाओं की सुलभता:**
 - स्ट्रीट वैडर्स शहरी निवासियों को सस्ती और सुलभ वस्तु एवं सेवाएँ उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका नभिते हैं।
 - ताज़ा उत्पादों से लेकर रेडी-टू-ईंट स्नैक्स तक, उनकी पेशकश दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करती है और शहरों की खाद्य सुरक्षा में योगदान देती है।
- **सांस्कृतिक वरिसत संरक्षण:**
 - **स्ट्रीट वैडर्स प्रायः** खाद्य परंपराओं और सांस्कृतिक अभ्यासों के संरक्षक भी होते हैं। मुंबई के बड़ा पाव और चेन्नई के सड़क किनारे मलिने वाले डोसा जैसे उत्पाद उनके महत्व को दर्शाते हैं।
 - कारीगरों के शलिप भारत के वभिन्न कषेतरों और समुदायों की विविध सांस्कृतिक वरिसत को प्रतिबिम्बित करते हैं।

स्ट्रीट वैडर्स के लिये सरकार की प्रमुख पहलें

- **पीएम स्वनिधियोजना:**
 - आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई **पीएम स्वनिधियोजना** का उद्देश्य स्ट्रीट वैडर्स को अपने व्यवसायों को फरि से शुरू करने या मौजूदा व्यवसाय के वसितार के लिये वहनीय कार्यशील पूँजी ऋण प्रदान करना है। यह समय पर पुनरभुगतान के लिये प्रोत्साहन (incentives) भी प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (National Urban Livelihood Mission- NULM):**
 - **NULM** एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य शहरी गरीब परवारों को लाभकारी स्व-रोज़गार एवं कुशल मज़दूरी रोज़गार के अवसरों तक पहुँच में सक्षम बनाकर उनकी गरीबी और भेदभाव को कम करना है।
 - इसमें स्ट्रीट वैडर्स के लिये कौशल प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और ऋण तक पहुँच के प्रावधान शामिल हैं।
- **DAY-NULM के अंतर्गत अरबन स्ट्रीट वैडर्स (USV) का घटक शामिल:**
 - **दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)** के अंतर्गत शामिल यह घटक स्ट्रीट वैडर्स पर केंद्रित है।
 - यह वकिरेत्य अवसंरचना की स्थापना एवं उन्नयन, वकिरेताओं को **स्वयं सहायता समूहों (SHGs)** में संगठित करने तथा ऋण एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच को सुगम बनाने के लिये सहायता प्रदान करता है।
- **कौशल वकिस संबंधी पहलें:**
 - स्ट्रीट वैडर्स की क्षमताओं को बढ़ाने, उन्हें अपने आजीविका वकिलों में विविधता ला सकने तथा उनकी आय अर्जन की क्षमता में सुधार करने के लिये वभिन्न कौशल वकिस कार्यक्रमों और व्यावसायिक प्रशिक्षण पहलों की पेशकश की गई है।
- **टाउन वैडिंग समितियों (TVCs):**
 - स्ट्रीट वैडर्स एकट के तहत, अधनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की सुविधा के लिये नगरपालिका स्तर पर टाउन वैडिंग समितियों का गठन किया जाता है।
 - ये समितियों वैडिंग ज़ोन की पहचान करने, वैडिंग प्रमाणपत्र जारी करने और स्ट्रीट वैडर्स की शक्तियों का समाधान करने के लिये उत्तरदायी हैं।
- **राज्य वशिष्ट प्रावधान:**
 - महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल ने स्ट्रीट वैडर्स एकट, 2014 के तहत स्ट्रीट वैडर्स के लिये राज्य-वशिष्ट प्रावधान तैयार किये हैं।

भारत में स्ट्रीट वैंडरस के समक्ष वदियमान प्रमुख चुनौतियाँ

- प्रशासनिक चुनौतियाँ:
 - उत्पीड़न और बेदखली: स्ट्रीट वैंडरस के संरक्षण पर केंद्रति स्ट्रीट वैंडरस एकट के अस्तित्व के बावजूद उन्हें उत्पीड़न और बेदखली का सामना करना पड़ता है, जो प्रायः उन्हें अवैध प्रवासियों के रूप में देखने के पुराने नौकरशाही दृष्टिकोण का परणिम होता है।
 - जागरूकता और संवेदनशीलता का अभाव: अधनियम के प्रवाधानों के संबंध में राज्य प्राधिकारियों, आम लोगों और वैंडरस के बीच समझ की कमी पाई जाती है, जिसके परणिमस्वरूप इसके कार्यान्वयन में अंतराल उत्पन्न होता है।
 - TVCs में सीमित प्रतनिधित्व: टाउन वैंडिंग समितियों में स्ट्रीट वैंडर प्रतनिधियों का प्रभाव प्रायः कम होता है और इसमें महला स्ट्रीट वैंडरस का समावेशन प्रायः महत्त्वहीन बना रहता है।
- शासन संबंधी चुनौतियाँ:
 - अपरखापत शहरी शासन तंत्र: शहरी शासन ढाँचे के साथ अधनियम का संरेखण अपूरण रहा है और शहरी स्थानीय निकायों में आवश्यक प्राधिकार एवं क्षमता का अभाव पाया जाता है।
 - शहरी विकास पहलों में उपेक्षा: समार्ट स्टील मशिन जैसे कार्यक्रम स्ट्रीट वैंडरस के एकीकरण के बजाय आधारभूत संरचना के विकास को प्राथमिकता देते हैं, जिससे अधनियम के उद्देश्यों की उपेक्षा होती है।
 - अपवर्जनकारी शहरी विकास: 'वर्ल्ड क्लास सीटीज़' की पारंपरिक धारणा स्ट्रीट वैंडरस को हाशयि पर धकेलती है, जिससे शहरी जीवन में वैध योगदानकर्ता के रूप में उनकी स्वीकृतिबाधित होती है।
- सामाजिक चुनौतियाँ:
 - जलवायु परवित्तन और तकनीकी परगति का प्रभाव: स्ट्रीट वैंडरस को जलवायु परवित्तन, ई-कॉमरस से प्रतिस्परद्धा और घटती आय जैसी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिये नवोन्मेषी प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता है।
 - शहर की छवि पर कलंक: हाई-टेक शहरी क्षेत्र का सामाजिक दृष्टिकोण स्ट्रीट वैंडरस की स्थितिको कायम बनाये रखता है, जहाँ शहरी समुदायों के अभन्न सदस्यों के रूप में उनके महत्त्व को चिह्नित करने के बजाय उन्हें विकास में बाधक के रूप में देखा जाता है।
- जबरन वसूली रेकेट:
 - 'रंगदारी टैक्स' और 'फ़स्ता' के मामले आम हैं। कई शहरों में स्ट्रीट वैंडरस को अपना व्यापार चलाने के लिये पुलसि या दबंग को धन देना पड़ता है।

28 TOWN VENDING COMMITTEES NOTIFIED BY GOVT

<p>► Corporations to start identifying hawkers soon</p> <p>► Hawkers to be given vending certificates to prevent any harassment against them</p> <p>► Government mulling to give them kiosks</p>	<p>with garbage disposal and solar light system</p> <p>► Hawkers displaced in last few years can also apply for space for shops</p> <p>► 5% of city's pollution is estimated to be caused by street vendors</p>	
--	---	--

स्ट्रीट वैंडरस की स्थितिमें सुधार के लिये और क्या किया जा सकता है?

- कार्यान्वयन को प्रबल करना:
 - इसमें पहचान प्रक्रियाएँ, जागरूकता बढ़ाना (शैक्षणिक कार्यशालाओं, गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग, सहकर्मी समुदाय शक्षिका, उपलब्ध लाभों के बारे में स्थानीय अधिकारियों के साथ सहकार्यता आदि के माध्यम से) और सहायता कार्यक्रमों की पहुँच सुनिश्चित करना शामिल है।
- लाभों का विस्तार करना:
 - स्ट्रीट वैंडरस को दुरघटना राहत, प्राकृतिक मृत्यु के लिये मुआवजा, बच्चों की उच्च शक्षिका के लिये शैक्षिक सहायता और संकट के समय पेशन सहति वभिन्न व्यापक लाभ प्रदान किया जाने चाहयि।
- उत्पीड़न पर रोक:
 - यह सुनिश्चित किया जाए कि स्ट्रीट वैंडरस को मनमाने ढंग से बेदखल न किया जाए, उनके सामान जबत न हों या उनपर अनुचित जुर्माना न लगाया जाए। यह आजीविका अर्जन के उनके अधिकार की रक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- प्रतनिधित्व बढ़ाना:
 - स्ट्रीट वैंडरों को टाउन वैंडिंग कमेटियों जैसे नियन्य लेने वाले निकायों में सारथक प्रतनिधित्व मिलिना चाहयि ताकियह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी आजीविका को प्रभावित करने वाले मामलों में उनकी आवाज़ सुनी जाए।
 - स्ट्रीट वैंडरस, विशेषकर महला स्ट्रीट वैंडरस का प्रतनिधित्व बढ़ाने से हाशयि पर स्थिति इस समूह के लिये अधिक समावेशी नीतियाँ और बेहतर परणिम सामने आ सकते हैं।
- वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना:

- ऋण, बचत और बीमा जैसी औपचारकि वित्तीय सेवाओं तक पहुँच को सुगम बनाने से स्ट्रीट वेंडरों को अपने वित्त का अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने और अपने व्यवसायों में नविश करने में मदद मिल सकती है।
- सूक्ष्म वित्त संस्थान, स्वयं सहायता समूह और डिजिटल बैंकिंग समाधान स्ट्रीट वेंडर्स के बीच वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका नभी सकते हैं।

अभ्यास प्रश्न: स्ट्रीट वेंडर्स के समक्ष विद्यमान चुनौतियों की चर्चा कीजिये और उनके सशक्तीकरण के लिये नीतिगत उपाय सुझाइये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न:

प्रश्न. भारतीय अरथव्यवस्था में वैश्वीकरण के परणिमस्वरूप औपचारकि क्षेत्र में रोज़गार कैसे कम हुए? क्या बढ़ती हुई अनौपचारकिता देश के विकास के लिये हानकारक है? (2016)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/street-vendors-assessing-their-significance-and-struggles>

